



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2880]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद्र 8, 1941

No. 2880]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

का.आ. 3147(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 32) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तारीख 1 सितंबर, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आरटी-11012/02/2019-एमवीएल (पार्ट 2)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2019

S.O. 3147(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 (32 of 2019), the Central Government hereby appoints the 1st day of September, 2019 as the date on which section 1 of the said Act shall come into force.

[F.No. RT-11012/02/2019-MVL(Pt. 2)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.